न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 554/2022

अपीलांट

हुकमाराम पुत्र भोपाराम
जाति कुम्हार, निवासी भाडखा,
तहसील व जिला बाडमेर

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. टीलाराम पुत्र हीराराम
2. मिश्राराम पुत्र हीराराम
   (जाति सुथार, निवासी बांदरा, तहसील व जिला बाडमेर)
3. मुलाराम पुत्र जुझाराम
4. हडूराम पुत्र जुझाराम
5. भूराराम पुत्र जुझाराम
6. चांदोदेवी पत्नी जुझाराम
7. भगाराम पुत्र अखाराम
8. भारूराम पुत्र अखाराम
9. पुनम उर्फ दुर्गाराम पुत्र अखाराम
10. चान्दो देवी पत्नी अखाराम
    (प्रत्यर्थी सं0 3 से 10 जाति नाई, निवासी निम्बला, तहसील शिव, जिला बाडमेर)
11. नरपत सिंह पुत्र जोगराज सिंह
12. मनोहर सिंह पुत्र जोगराज सिंह
    फौत के कायम मुकाम –
    12/1 तुलछी कंवर पत्नी स्व0 मनोहर सिंह
13. प्रकाश सिंह पुत्र जोगराज सिंह
14. विक्रम सिंह पुत्र जोगराज सिंह
15. नरसिंग सिंह पुत्र जोगराज सिंह
16. कंवरो पत्नी जोगराज सिंह
17. हरक सिंह पुत्र गोरधन सिंह
18. जेतमाल सिंह पुत्र गोरधन सिंह

    (प्रत्यर्थी सं0 11 से 18 जाति पुरोहित निवासी भाडखा, तहसील व जिला बाडमेर)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी शिव (बाडमेर) राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 209/2020 आदेश दिनांक 15.09.2022

उपस्थिति –

1. श्री लाधूराम पूनिया, अशोक कुमार वकील अपीलांट
2. रेस्पो0 बावजूद सूचना व रजिस्टर्ड नोटिस के अनुपस्थित

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

निर्णय

दिनांक 22.07.2024

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–अपीलांट–हुकमाराम ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, राज0 भू–राजस्व अधि0, 1956 प्रस्तुत कर तहसील शिव के ग्राम भगवानोणियों की ढाणी स्थित अपने खातेदारी खसरा नं0 496/336 रकबा 31.02 बीघा भूमि की नेखम पैमाईश जरिये पत्थरगढी करवाने हेतु प्रत्यर्थी–विप्रार्थीगण–टीलाराम वगैरा के विरूद्ध प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.09.2022 द्वारा खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने राज0 भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

प्रत्यर्थीगण रजिस्टर्ड नोटिस के बावजूद अनुपस्थित रहने से बहस एकतरफा सुनी गई। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलांट–प्रार्थी–हुकमाराम की तहसील शिव स्थित ग्राम भगवानोणियों की ढाणी के खसरा नं0 496/336 रकबा 31.02 बीघा खातेदारी भूमि है। जिसके पडौस में प्रत्यर्थी–विप्रार्थीगण के खेत आए हुए है, जिसके बीच में पक्की माठ तथा सीमाचिन्ह नही है तथा खेत की माठ को लेकर अक्सर विवाद रहता है। अपीलांट के खेत खसरान की दिनांक 30.7.19 को वक्त पैमाईश सेढा पडौसियों द्वारा मना कर दिये जाने से खेतो के मध्य माठ कायम नही हो सकी। इसलिए अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने खातेदारी ख0नं0 496/336 की पैमाईश करवाकर पत्थरगढी करवाने का आग्रह किया गया। जिसमें विप्रार्थीगण का कोई इन्कारी जवाब प्रस्तुत नही हुआ। विप्रार्थी द्वारा रकबा बरारी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 28.3.22 को तहसीलदार शिव की तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट प्रस्तुत हुई तथा इसी रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी व उसके पडौसी खातेदारान के खेत का रकबा लट्ठा ट्रेस व मोमी ट्रेस मिलान नही होने के आधार पर प्रार्थी का नेखमबंदी का प्रार्थना पत्र बिना कोई न्यायसंगत कारण दिये अस्वीकार कर दिया गया। जबकि तहसीलदार की मौका रिपोर्ट में ऐसा कोई प्रश्न नही उठाया गया है और न ही तरमीम दुरूस्ती का कोई मामला तहसीलदार की

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

रिपोर्ट में बताया गया है। तहसीलदार की मौका रिपोर्ट में विप्रार्थीगण द्वारा उसकी खातेदारी भूमि की माठ/सीमा के अन्दर कही दो मीटर, कही 14 मीटर घुसकर कब्जा करने का तथ्य बताया गया है। जिससे प्रकट होता है कि प्रार्थी व विप्रार्थी के बीच सीमा/माठ को विप्रार्थीगण द्वारा जबरदस्ती खुर्दबुर्द किया गया है। जिसके निदान के लिए दोनो खेतों के बीच की सीमा उक्त रिपोर्ट के अनुसार स्थापित कर पक्के नेखम स्थापित करना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर ध्यान दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया, जो न्याय एवं अभिलेख के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर, अपीलांट–प्रार्थी का नेखमबंदी प्रा0प0 अंतर्गत धारा 111, 128 मौका व पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 20.3.22 अनुसार स्वीकार फरमाने का आग्रह किया गया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर यह पाया गया कि प्रकरण में अपीलांट व प्रत्यर्थीगण का मौके पर सीमा संबंधी विवाद है। यह भी प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते रकबा बरारी रिपोर्ट मंगवाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के कम मे तहसीलदार शिव के पत्रांक 617 दिनांक 13.7.22 एवं पत्र कमांक 496 दिनांक 28.3.22 द्वारा तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट एवं वस्तुस्थिति रिपोर्ट पेश हुई। इन दोनो मौका रिपोर्ट्स दिनांक 20.3.22 में मुख्यतः यह अंकित है कि–

तहसीलदार का पत्रांक 617 दिनांक 13.7.22

"खसरा नं0 497/336 विप्रार्थीगण एवं खसरा नं0 490/336 की रकबा बरारी लट्ठा ट्रेस एवं मोमिट्रेस में दोनो खसरान पैमाइश स्केल से मिलान करने पर प्रार्थी हुकमाराम के खसरा नं0 490/336 का रकबा 27.10 बीघा भूमि है एवं पडौसी खसरा नं0 497/336 के मिलान करने पर रकबा 75.12 बीघा भूमि है। लेकिन प्रार्थी हुकमाराम के खेत का कुल रकबा 31.02 बीघा होना चाहिए और पडौसी खातेदारान के खसरा नं0 497/336 का रकबा 72.00 बीघा भूमि होनी चाहिए। पडौसी खातेदारान के कब्जे में लगभग 3.12 बीघा भूमि ज्यादा है।"

तहसीलदार का पत्रांक 496 दिनांक 28.3.22

"खसरा नं0 496/336 रकबा 31.02 बीघा के मौतबिरान एवं पडौसियों के रूबरू

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

खेत की रकबा बरारी की पैमाइश GPS से की गई। जिस पर खेत खसरा नं0 497/336 रकबा 72 बीघा है। जिस पर खसरा नं0 496/336 का रकबा 31.02 बीघा के अनुसार पडौसी खातेदार उत्तर–पश्चिमी दिशा में सेढा पडौसी के खेत में 14 मीटर कब्जा व तारबंदी काश्त की हुई है व पश्चिमी–दक्षिण में 2 मीटर पर पडौसी खातेदार 497/336 का कब्जा किया हुआ है।''

अतः वकील अपीलांट का यह कथन मानने योग्य है कि उक्त रिपोर्ट्स में तहसीलदार शिव की मौका रिपोर्ट में ऐसा कोई प्रश्न नही उठाया गया है और न ही तरमीम दुरूस्ती का कोई मामला इन रिपोर्ट में बताया गया है। तहसीलदार शिव की मौका रिपोर्ट में विप्रार्थीगण द्वारा अपीलांट/प्रार्थी की खातेदारी भूमि की माठ/सीमा के अन्दर कही 2 मीटर, तो कही 14 मीटर घुसकर कब्जा करने का तथ्य बताया गया है। जिसके निदान के लिए उक्त रिपोर्ट के अनुसार नेखमबंदी आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर ध्यान दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया, जो न्याय एवं अभिलेख के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव (बाडमेर) द्वारा राजस्व आवेदन सं0 209/2020 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.09.2022 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलाधीन खसरान की भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगड़ी हेतु अपीलांट एवं रेस्पो0 तथा अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारान /खातेदारान/ सह–खातेदारान को पक्षकार संयोजित कर उनकी सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर, विधिवत तामिली के पश्चात, तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार सीमांकन एवं पत्थरगढी हेतु विधिसम्मतः आदेश पारित करावे।

निर्णय आज दिनांक 22 जुलाई, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

22.07.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर